



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

देहरादून, मंगलवार, 06 फरवरी, 2018 ई0

माघ 17, 1939 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

वित्त अनुभाग-8

संख्या 143/2018/18(120)/XXVII(8)/2017/CTR-7

देहरादून, 06 फरवरी, 2018

अधिसूचना

चूँकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 06) की धारा 11 की उपधारा (1) सपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम सं0 1 वर्ष 1904) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुभाग-8 की अधिसूचना संख्या 518/2017/9(120)/XXVIII(8)/2017 तारीख 29 जून, 2017 में निम्नलिखित अग्रेतर संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, अर्थात्:

उक्त अधिसूचना में,

(1) अनुसूची में, -

(ii) क्रम संख्या 102 में, कॉलम (3) में वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "जलीय खाद्य जिसके अंतर्गत झींगी खाद्य और झींगा खाद्य भी है, कुक्कुट खाद्य और पशु खाद्य, सूखी घास और पुआल, दालों का अनुपूरक और भूसी, सांद्रण और योज्यक, गेहूँ का चोकर और तेल निकाला गया केक[राइस ब्रानसे भिन्न]को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

- (ii) क्रम संख्या 102क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतः स्थापित किया जाएगा, यथा: -

“102क	2302	तेल रहित राइस ब्रान
102ख	2306	बिनौले की खली”;

- (iii) क्रम संख्या 136क के समक्ष, कॉलम (2) में, वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि “7117” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (iv) क्रम संख्या 137 में, कॉलम (3) में “कृषि, उद्यान कृषि, वानिकी में उपयोग किया जाता है”, शब्दों के स्थान पर “घमेली से भिन्न” शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (v) क्रम संख्या 148 में, कॉलम (3) के बिंदु (पांच) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “भभूति” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (vi) क्रम संख्या 150 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा; यथा -

“151	कोई भी अध्याय	“सुनाई देने में सहायक उपकरण संबंधित कलपुर्जे”;
------	------------------	--

2. यह अधिसूचना 25 जनवरी, 2018 से प्रवृत्त समझी जायेगी।

आज्ञा से,

राधा रतूड़ी,
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No.143/2018/18(120)/XXVII(8)/2017/CTR-7, dated Dehradun, February 06, 2018 for general information:

No. 143/2018/18(120)/XXVII(8)/2017/CTR-7

Dated Dehradun, February 06, 2018

NOTIFICATION

WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) of section 11 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (06 of 2017) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clause Act, 1904 (Act no. 1 of 1904) (as applicable to the State of Uttarakhand) on the recommendations of the Council, the Governor is pleased to allow to make the following further amendments in the notification of the Government of Uttarakhand Finance section-8 No. 518/2017/9(120)/XXVII(8)/2017 dated 29 June, 2017, namely:-

In the said notification, -

(1) in the Schedule,

(i) in S. No. 102, for the entry in column (3), the entry "Aquatic feed including shrimp feed and prawn feed, poultry feed & cattle feed, including grass, hay & straw, supplement & husk of pulses, concentrates & additives, wheat bran & de-oiled cake [other than rice-bran]", shall be substituted;

(ii) for S. No. 102A and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

"102A	2302	De-oiled rice bran
102B	2306	Cotton seed oil cake";

(iii) against S. No. 136A, in column (2), for the entry, the entry "7117" shall be substituted';

(iv) in S. No. 137, in column (3), after the words "used in agriculture, horticulture or forestry" the words, "other than ghamella", shall be added;

(v) in S. No. 148, for the entry in column (3), for the entry against item number (v), the entry "Vibhuti", shall be substituted;

(vi) after S. No. 150 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

"151	Any chapter	"Parts for manufacture of hearing aids";
------	----------------	--

2. This notification shall deemed to come into force from the 25th January, 2018.

By Order,

RADHA RATURI,
Principal Secretary.